

कार्यालय जिलाधिकारी, झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

संख्या 1177 / 30 एम0एम0सी/ई-निविदा/बालू/मोरम/2025-26

दिनांक: 29/12/2025

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 781/86-2020-14 (सा0)/2020 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक: 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के अधीन जनपद-झाँसी में नदी तल पर उपलब्ध बालू/मोरम के निम्नलिखित रिक्त क्षेत्र को ई-निविदा के माध्यम से 06 माह की अवधि हेतु अल्पकालीन खनन परिहार (खनन अनुज्ञा पत्र) पर स्वीकृत किये जाने हेतु एतद् द्वारा उपलब्ध घोषित करते हुए इस क्षेत्र के लिए सात कार्य दिवस यानि दिनांक: 12/01/2026 समय 10.00 बजे प्रातः से दिनांक: 16/01/2026 समय 5:00 बजे सायं तक अधोलिखित शर्तों के अधीन ई-निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

बालू/मोरम के रिक्त खनन क्षेत्रों का विवरण :-

क्र. सं.	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियो कोआर्डिनेटस		न्यूनतम रायल्टी की दर (रु0 प्रति घनमीटर)	उपखनिज की निर्धारित अर्द्धवार्षिक मात्रा (घनमीटर)	आधार मूल्य (न्यूनतम रायल्टी की दर x निर्धारित अर्द्धवार्षिक मात्रा)	अर्नेस्टमनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत) (रुपये में)
			तहसील	ग्राम	आराजी संख्या (खण्ड संख्या)	क्षेत्रफल (हे0 में)	Latitude	Longitude				
1	बालू/मोरम	बेतवा	गरौठा	कुड़री	01, 218क	14.000	A-25° 48'14.30" B-25° 48'19.00" C-25° 48'16.87" D-25° 48'12.70" E-25° 48'01.47" F-25° 47'51.44" G-25° 47'49.15" H-25° 48'10.70" I-25° 48'14.50"	A-79° 14'28.50" B-79° 14'28.97" C-79° 14'38.43" D-79° 14'45.96" E-79° 14'56.33" F-79° 15'09.34" G-79° 15'07.21" H-79° 14'41.80" I-79° 14'32.60"	150.00	40,000.00	60,00,000.00	30,00,000.00

शर्त :-

1. अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिए होगी।
2. किसी भी रिक्त खनन क्षेत्र के लिए निर्धारित बालू/मोरम की मात्रा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) में अनुमन्य मात्रा ही स्वीकार्य होगा।
3. प्रत्येक क्षेत्र के लिए आधार मूल्य उस क्षेत्र में छः माह की अवधि के अन्दर खनन व निकासी किये जाने योग्य निर्धारित/आंकलित उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में) एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में नदी तल स्थित बालू/मोरम के लिए विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर रु0 150.00 प्रति घनमीटर के गुणनफल के समतुल्य होगा।
4. किसी क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व उस क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि, जो उस क्षेत्र के आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा, का बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी, झाँसी के पक्ष में देय होगा) जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग ई-निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
5. इच्छुक ई-निविदाकार किसी भी क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व उस क्षेत्र में आंकलित बालू/मोरम की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का स्वयं निरीक्षण कर आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- (2)
6. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
- (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।।
- (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से "etenders.up.nic.in" पर ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा "etenders.up.nic.in" के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेगें।
- (ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
7. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय "etenders.up.nic.in" पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनार्थे भरकर स्कैन प्रति एवं निम्नलिखित स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

प्रारूप- 2 की सूचनाये :-

- क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
- ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।
- ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0 नं0।
- घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।
- ङ. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2000/- का चालान संख्या व दिनांक।
- च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
- छ. पैन कार्ड का क्रमांक।
- ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
- झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-

- क. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेत रू0 2,000.00/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
- ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
- ग. पैन कार्ड।
- घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाए, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टा धारक/परिहारधाक न रहा हो वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।
- ङ. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।
8. विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिसे दिनांक: 17 /0 L/ 2026 समय 11:00 बजे अपराह्न को जिलाधिकारी द्वारा गठित निविदा समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।



9. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-7 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नं० लिखना अनिवार्य होगा।
10. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस) तक जिला खनन कार्यालय, झाँसी में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
11. सर्वोच्च ई-निविदाकार का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति जिला खनन कार्यालय, झाँसी में प्रस्तुत किया जायेगा जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।
12. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
13. प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी०एम०एफ० एवं टी०सी०एस० देय होगा।
14. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) प्राप्त है उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) प्राप्त नहीं है उसके सफल निविदाकार को आशय पत्र (LOI) प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) प्राप्त करना होगा। अनुज्ञा-पत्र धारक को अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र देना होगा।
15. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र (EC) प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
16. खनन अनुज्ञा पत्र के अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक, जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध होगा।
17. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएँ सम्पादित करना होगा।
18. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

५५

19. मा0 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश, उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 तथा समय-समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
20. अन्य नियम एवं शर्तें जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा आवश्यक समझी जाय।
21. उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-60(1) में उल्लिखित प्राविधान अमल में लायी जायेगी, जो इस प्रकार है:- "प्रस्तावक, जो आशय-पत्र प्राप्त किया हो, तथापि नियम 35 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार नियत की गयी एक माह की अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया हो या पर्यावरण अनापत्ति स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया हो, रू0 दस हजार प्रतिदिन की शास्ति के लिये दायी होगा। शास्ति की धनराशि, जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि से कटौती की जायेगी।
22. यदि प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने में अकारण विलम्ब करता है तो उसके द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए निर्गत आशय-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

जिलाधिकारी
झाँसी।

पत्रांक व तददिनांक:

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग लखनऊ।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग, झाँसी।
7. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), झाँसी।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, झाँसी।
9. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सदर, मौठ, गरौठा, मऊरानीपुर एवं टहरौली को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
10. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, झाँसी।
11. जिला सूचना अधिकारी, झाँसी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, झाँसी को जनपद झाँसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रभारी अधिकारी, नजारत, कलैक्ट्रेट, झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
14. सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव को प्रस्तावित क्षेत्र के समीप किसी सुविधाजनक स्थल पर चस्पा करने हेतु।

झाँसी

जिलाधिकारी
झाँसी।

खनन अनुज्ञा-पत्र हेतु ई-निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण-किसी प्रकार के कंटिंग/ओवरराइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3	निविदाकार का नाम	
4	निविदाकार के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाइल नम्बर	
8	ई-मेल आईडी	
9	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है उसका विवरण, (क) उपखनिज का नाम- (ख) जनपद का नाम- (ग) तहसील का नाम- (घ) खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम- (ङ) गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या- (च) क्षेत्रफल (एकड़ में) -	
10	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
12	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
14	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
15	क्षेत्र में निर्धारित /आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर रू0 150.00 के गुणाक का 50 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक-

निविदाकार के हस्ताक्षर